

अपील सूचना अधिकार संख्या 117/2021 (GCMS 2021/193)(आईटीआई पोर्टल नं. 212634961079160) नरेन्द्र कुमार के/ऑफ के.के. शर्मा, चैम्बर नं. 160, जिला कोर्ट केम्पस, भिवानी (हरियाणा) (मोबाईल नं. 90344-88325) बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ



31.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नरेन्द्र कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2021 तहसीलदार, सूरतगढ के समक्ष पेश करके सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, किन्तु तहसीलदार, सूरतगढ ने उसे समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह अपील पेश की है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2021 के द्वारा तहसीलदार, सूरतगढ से निम्न सूचना चाही थी:

1. श्रीमती शान्ति सहाय के नाम एक मुरब्बा जमीन 9 एसएचपीडी में थी। जिसका पटवार हल्का 8 एसएचपीडी है, तथा गांव का नाम सरदारगढ है।
2. शान्ति सहाय ने यह जमीन (एक मुरब्बा) किसको बेची है।
3. बिक्री के समय शान्ति सहाय ने स्वयं हाजिर होकर रजिस्टरी करवाई थी।
4. यह जमीन किसको बेची थी, यानि खारीददार कौन था तथा कितने में बेची थी? उसकी पूर्ण जानकारी दी जाये।
5. रजिस्टरी के समय शिनाख्त किस नम्बरदार ने की थी तथा गवाह कौन थे? तथा किसने तस्दीक की। पूर्ण जानकारी दी जाये।



जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

6. उस समय कौन तहसीलदार सहाब थे उनकी पूरी जानकारी दी जाये। तथा पटवारी कौन था, उनकी भी पूरी जानकारी दी जाये।
7. यह रजिस्टरी किस तिथि को हुई थी तथा इसका इन्तकाल कब हुआ?

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ ने अपने पत्रांक भू.अ./2021/4253 दिनांक 06.12.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि श्री नरेन्द्र कुमार जरिये प्रार्थना पत्र चाही गई कार्यालय से सम्बन्धित सूचना प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक भू.अ./2021/4251 दिनांक 06.12.2021 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसकी प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। सूचना श्रीमान्जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

संलग्न : कार्यालय पत्रांक की प्रति।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
सूरतगढ

चूंकि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ ने अपीलार्थी को अपने पत्रांक 4251 दिनांक 06.12.2021 से सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसलिए उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रुकमणि रियार सिहाग)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर